

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झाँसी।

पत्रांक:मान्यता / 2018 / 13988-91 / 2018-19 दिनांक 30-10-19

प्रबंधक,
सी० के० सी० अकादमी,
19, सिविल लाइन्स - झाँसी।

विषय: निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन प्रदत्त विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण / नियमित।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक संख्या / मान्यता / 563-66 / 2015-16 दिनांक 10.04.2015 के द्वारा आपके विद्यालय की कक्षा प्री प्राइमरी से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की अनन्तिम मान्यता 30.06.2017 तक (तीन वर्ष) की अवधि के लिए प्रदान की गयी थी।


आप द्वारा प्रश्नगत मान्यता के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी झाँसी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 12.10.2018 के आधार पर विद्यालय की मान्यता को इस प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकृत / नियमित किया जाता है कि अस्थाई मान्यता के सम्बन्ध में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के उल्लिखित प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी स्तर पर इन प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।


(हरिवंश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

पृष्ठांकन संख्या:मान्यता / / 2018-19 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), झाँसी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

(हरिवंश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।


MANAGER
C.K.C. ACADEMY
19, Civil Lines,
JHANSI-284001 (U.P.)


PRINCIPAL
C.K.C. Academy
19, Civil Lines,
JHANSI-284001 (U.P.)